पत्र संख्या–6/योजना–01–50/2016गृ0आ0........................../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जनवरी, 2017

विषयः– **मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर के सुदृढ़ीकरण हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य के लिए संशोधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 14,01,75,200 (चौदह करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार दो सौ रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल बजट में उपबंधित राशि ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–5446, दिनांक–05.12.2016 के संबंध में कहना है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर के सुदृढ़ीकरण हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य के लिए संशोधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 14,01,75,200 (चौदह करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार दो सौ रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल बजट में उपबंधित राशि ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़ रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष –''4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0113–गृह रक्षा वाहिनी के लिए भवन निर्माण'' विपत्र कोड–P4070000510113 विषयशीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. भवन निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–6/योजना–01–50/2016गृ0आ0 के पृ0 सं–11/टि0 पर दिनांक–30.12.2016 एवं माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–6/योजना–01–50/2016गृ0आ0 के पृ0 सं0–14/टि0 पर दिनांक–13.01.2017 को प्राप्त है।

11 प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6/योजना–01–50/2016गृ0आ0 के पृ0–15/प0 पर दिनांक–18.01.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0 :–6/योजना–01–50/2016गृ0आ0......705....../पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा 24/01/17

सरकार के अवर सचिव